

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम. आई. रोड, जयपुर।
टेलीफोन नं. 0141-5155107 फेक्स नं. 0141-5155100

गाइड रिफ्रेशर प्रशिक्षण

क्रमांक : एफ 8(11)रिटमैन/गाइड/पवि/2016/ 15833

दिनांक : 24-08-2016

पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार के लाईसेंस धारक राज्य स्तरीय एवं स्थानीय स्तर गाइडों का रिफ्रेशर प्रशिक्षण राजस्थान पर्यटन व्यवसाय (सुकरकरण और विनियमन) अधिनियम एवं नियम, 2010 के नियम 10 (xxxiv) के तहत माह सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ कर 6 दिवसीय अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न कार्यालयों द्वारा आयोजित किया जाना है :-

| क्र. सं. | पर्यटन कार्यालय जहां सम्पर्क किया जाना है | दूरभाष नम्बर | सम्बन्धित जिला |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. | अजमेर | 0145-2627426 | अजमेर नागौर |
| 2. | बीकानेर | 0151-2226701 | बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ |
| 3. | चित्तौडगढ | 01472-241089 | चित्तौडगढ भीलवाडा |
| 4. | जयपुर | 0141-5110598 | जयपुर दौसा |
| 5. | जोधपुर | 0291-2545083 | जोधपुर पाली |
| 6. | जैसलमेर | 02992-252406 | जैसलमेर बाडमेर |
| 7. | झुन्झनू | 01592-232909 | झुन्झनू सीकर चुरु |
| 8. | कोटा | 0744-2327695 | कोटा बारां बून्दी झालावाड |
| 9. | माउन्ट आबू | 02974-235151 | सिरोही जालौर |
| 10. | उदयपुर | 0294-2411535 | उदयपुर राजसमन्द बांसवाडा डूंगरपुर |

उक्त प्रशिक्षण में उक्त नियमों के नियम 10 (xxv) के अन्तर्गत समस्त गाइडों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण पहले आओ पहले पाओ आधार पर दिया जाएगा, प्रशिक्षण उपरान्त लिखित परीक्षा होगी जिसमें 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के परिचय पत्र ही नवीनीकृत योग्य होंगे।

उक्त प्रशिक्षण हेतु रू. 800/- का शुल्क निर्धारित है। प्रशिक्षण की तिथि एवं शुल्क जमा कराने की जानकारी हेतु पर्यटन विभाग के संबंधित जिले के पर्यटन कार्यालय में सम्पर्क किया जावे।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
निदेशक, पर्यटन